राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 876वी बैठक दिनांक 12.03.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 876वी बैठक दिनांक 12.03.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/756/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/757/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/758/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/759/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/760/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/761/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P2/762/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	P2/763/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/764/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/765/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	P2/766/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	P2/767/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR	पुनः परीक्षण हेतु

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

					(DEIAA - EC)	SEAC को अग्रेषित
13.	P2/768/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	P2/769/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	P2/770/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
16.	P2/817/24	1(a)	डिण्डोरी	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति	जारी किया जाये
17.	P2/785/24	1(a)	खरगोन	पत्थर एवं एम–सेंड खदान	पर्यावरण स्वीकृति	जारी किया जाये
18.	P2/840/24	1(a)	खरगोन	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति	जारी किया जाये
19.	10001/23	1(a)	उज्जैन	पत्थर एवं एम–सेंड खदान	पर्यावरण स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
20.	P2/828/24	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति	जारी किया जाये

1. **Case No. P2/756/24** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 1, 00,000 M3/Year, Lease Area – 2.00 ha, Khasra No. - 138 at Village- Pratappura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.) by Shri Sunil Kumar Gupta, 1874/4 A behind RTO Shivaji Nagar, Jhansi (U.P) [MIN/469423/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

2. Case No. P2/757/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 89,446 M3/Year, Lease Area – 3.00 ha, Khasra No. – 226/1 at Village- Sitapur, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.) by Shri Vishal Gupta, 117/4 Civil line near Allahbad Bank, in front of Red Rose School, Jhansi (U.P) 284001[MIN/469444/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** ज़ारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. **Case No. P2/758/24** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 1, 57,248 M3/Year, Lease Area – 4.00 ha, Khasra No. – 7 at Village- Bhojpura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Om Prakash Jain s/o shri Jagdish Prasad Jain, 1680 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469459/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

4. **Case No. P2/759/24** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 68,000 M3/Year, Lease Area – 4.00 ha, Khasra No. – 4 at Village- Bhojpura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Suresh Saraogi, 94/11 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469514/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं ज़लवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

5. **Case No. P2/760/24** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 76,231 M3/Year, Lease Area – 3.90 ha, Khasra No. – 20/1SA/1 at Village- Pratappura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Banwari lal Jain, 1379 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469512/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

6. **Case No. P2/761/24** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 58,000 M3/Year, Lease Area – 3.70 ha, Khasra No. – 4 at Village- Bhojpura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Nitin Kumar Saraogi, 1680 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469516/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

7. **Case No. P2/762/24** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 10302 M3/Year, Lease Area – 1.00 ha, Khasra No. – 12/2 Part, at Village- Pratappura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Deepak Kumar Saraogi, 95/18 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469539/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

8. **Case No. P2/763/24** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 40000 M3/Year, Lease Area – 1.450 ha, Khasra No. – 7 Part, at Village- Bhojpura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Deepak Kumar Saraogi, 95/18 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469540/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

9. Case No. P2/764/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 75400 M3/Year, Lease Area – 2.00 ha, Khasra No. – 6 Part, at Village- Bhojpura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Pawan Saraogi, 1680 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469539/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

10. Case No. P2/765/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 40104 M3/Year, Lease Area – 2.00 ha, Khasra No. – 12/2, at Village- Pratappura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Mahendra Saraogi, 94/11 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469547/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रक्रिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

11. Case No. P2/766/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 42427 M3/Year, Lease Area – 2.00 ha, Khasra No. – 7 Part, at Village- Bhojpura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Mahendra Kumar Saraogi, 94/11 Civil line, Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469546/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

12. Case No. P2/767/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 2,28,800 M3/Year, Lease Area – 4.00 ha, Khasra No. – 12/2 Part, at Village- Pratappura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Pawan Kumar Saraogi, 1680 Civil line F-1(P-1), Jhansi Mauranipur Jhansi (U.P) 284001 [MIN/469546/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

13. Case No. P2/768/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 30,000 M3/Year, Lease Area – 2.00 ha, Khasra No. – 1/8, at Village- Pratappura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Rahul Agarwal, 960, C.P. Mission Compound, Jhansi Sipri Bazar (U.P) 284001 [MIN/469641/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. Case No. P2/769/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 47,736 M3/Year, Lease Area – 2.00 ha, Khasra No. – 1/6, at Village- Pratappura, Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Rajeev Kumar Jain, 94, Jhansi Khas Jhansi (U.P) 284002 [MIN/469667/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

15. Case No. P2/770/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Open Cast Semi mechanized) for production capacity Stone- 70,658 M3/Year, Lease Area – 2.90 ha, Khasra No.- 675/700/1, 675/2, Village –Jijora, , Tehsil - Orchha, Distt.- Niwari, (M.P.), by Shri Rajeev Kumar Jain, 94, Jhansi Khas Jhansi (U.P) 284002 [MIN/469683/2024 (DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज़ारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा–

16. प्रकरण कं. P/2/817/2024: परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश जैन, पट्टेदार, निवासी पेट्रोल पंप के पास बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)–482001 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल, 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 71,717 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. – 55/2 ग्राम पाकरबघर्रा माल तहसील व जिला – डिण्डोरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वीं बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 755वी बैठक दिनांक 21.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के पत्र कमांक 144/खनि/उ.प./2018 दिनांक 12/03/2018 के द्वारा कार्यालयीन सैद्वान्तिक मंजूरी क्रमांक 984 दिनांक 07/10/2017 माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.10.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मौसमी नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण कं. P/2/785/2024: परियोजना प्रस्तावक श्री कीर्ति पटीदार एवं रविन्द्र, पटीदार, श्री श्याम इंटरप्राईसेस, निवासी गांव/पोस्ट ऑफिस– बलसामुंड, तहसील –कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम–सेंड खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल, 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेंड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. –15/1, गांव खरिया तहसील– महेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 756वी बैठक दिनांक 22.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र कमांक 1025/खनिज/2023 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से 11.04.2017 से 10.04.2027 (10 वर्ष) की स्वीकृति है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.04.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **चेक डेम, स्टॉप डेम, शेड एवं पॉल्ट्री फार्म से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण कं. P2/840/2024: परियोजना प्रस्तावक श्री नितेश सोलंकी, अधिकृत व्यक्ति निवासी दौदवा तहसील भीखनगांव जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल, 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 23278 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. –326 गांव – टेमला तहसील एवं जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 756वी बैठक दिनांक 22.05.2024 की विशिष्ट शर्तो सहित

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र कमांक 745/खनिज/16, दिनांक 26.09.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.09.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण कं. 10001/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल बौरासिया पट्टेदार निवासी – बी–23, आनंद नगर जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल, 1.50 हेक्टेयर उत्पादन क्षमता विस्तार पत्थर 5820 घनमीटर प्रतिवर्ष से 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 6300 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेंड 35700 घनमीटर प्रतिवर्ष), खसरा नं. –149, गांव –चकजयरामपुर, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना की वैधता दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से नवीन खनन योजना अनुमोदित करवाकर ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण कं. P/2/828/2024: परियोजना प्रस्तावक श्रीमती फुलेय जावरकर पट्टेदार निवासी –धार खामला जिला बैतूल (म.प्र.)–460220 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), क्षेत्रफल, 1.969 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 23702 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. –24/2, गांव –पागाडोरी तहसील भैंसदेही जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 756वी बैठक दिनांक 22.05.2024 की विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र कमांक खनि–1/ 18/1393 दिनांक 24/07/2018 के द्वारा कार्यालयीन सैद्धान्तिक मंजूरी क्रमांक खनि–1/ 18/373 दिनांक 27/02/2018 से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.02.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकियाऐं प्रारंभ करने के पूर्व खनन क्षेत्र में स्थित वृक्षों में से काटे जाने वाले 01 वृक्ष के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 10 पौधों का रोपण अनिवार्यतः किया जाये एवं सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेंगे। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के SEIAA कार्यालय में प्रेषित किया जायें। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।

(v) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

12.03.25

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष